आई एल आर पंजाब और हरियाणा (2018) 1 पेज 273–276

कुसुम और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति सूर्यकांत)

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और शेखर धवन के समक्ष

कुसुम और एक अन्य–याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी

सी. डब्ल्यू. पी. No.15184/2004

24 जनवरी, 2018

भारत का संविधान, 1950– अनुच्छेद 226– भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, अनुभाग 31 –स्थानीय अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013– अनुभाग 24 याचिकाकर्ताओं ने अपनी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी–तथ्य के प्रश्न के रूप में पाया गया कि भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया था–हालांकि अधिकांश भूमि मालिकों ने मुआवजा प्राप्त किया, याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर द्वारा मूल्यांकन किए गए मुआवजे को प्रतिग्रहण करना करने से इनकार कर दिया–अधिनियम की अनुभाग – 31 के अनादर में संदर्भ न्यायालय में जमा नहीं किया गया ,मुआवजा कलेक्टर द्वारा मूल्यांकन किए गए मुआवजे को प्रतिग्रहण करना करता है–2013 के अधिनियम की अनुभाग – 31 के अनादर के संदर्भ न्यायालय में मुआवजा जमा नहीं किया गया ––1894 ––उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) के अनुसार मुआवजे की राशि का पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया – रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

यह मान लिया कि हालांकि अधिकांश भूमि मालिकों को मुआवजा मिल गया है, लेकिन जहां तक याचिकाकर्ताओं का सवाल है, उन्होंने कभी भी भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा मूल्यांकन किए गए मुआवजे को प्राप्त करने के लिए सहमत नहीं दी। उक्त क्षतिपूर्ति को 1894 के अधिनियम की अनुभाग 31 के अनुसार संदर्भ न्यायालय में भी जमा नहीं किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा घासितु राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2017 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 524 में उच्चतम न्यायालय के फैसलों के बाद समझाया गया है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की अनुभाग 24 (2) की शर्तों में से एक का पालन करे और इसके परिणामस्वरूप, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विवादित अधिग्रहण याचिकाकर्ताओं की भूमि के लिए समाप्त हो गया है। तथापि, हमारा विचार है कि ऐसे मामले में भी जहां 1894 अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण को 2013 अधिनियम की अनुभाग 24 (2) के तहत समाप्त घोषित किया गया है, 2013 अधिनियम का विधायी उद्देश्य जब्त मालिकों को मुआवजे की संशोधित और बढ़ी हुई राशि के साथ क्षतिपूर्ति करना है जो 2013 अधिनियम के तहत निर्धारित की जा सकती है। इस तरह के विधायी उद्देश्य को 2013 अधिनियम की अनुभाग 24 (1) के तहत मुआवजे का आकलन करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देकर प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, ताकि सार्वजनिक उद्देश्य जिसके लिए अधिग्रहित भूमि का उपयोग किया गया है, अप्रभावित बनी हुई है और साथ ही याचिकाकर्ताओं को 2013 के अधिनियम के प्रावधानों से लाभ होता है। तदनुसार आदेश दिया।

(पैरा 7)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर 2013 अधिनियम की अनुभाग 24 (1) के अनुसार याचिकाकर्ताओं की अधिग्रहित भूमि की क्षतिपूर्ति राशि का पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया जाता है और उसे तुरंत उन्हें वितरित किया जाए।

(पैरा 8)

मीनाक्षी शर्मा, अधिवक्ता

M.L.Sharma अधिवक्ता,

याचिकाकर्ताओं के लिए।

अंकुर मित्तल, एडिशनल ए.एजी. हरियाणा

मनोज धनखड़, ए. ए.एजी. हरियाणा के साथ।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत

1) यह आदेश उपरोक्त शीर्षक वाली रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा क्योंकि दोनों मामलों में शामिल मुद्दा सामान्य प्रकृति का है। सुविधा के लिए, सी. डब्ल्यू. पी. No.15184–2004 से तथ्य निकाले जा रहे हैं।

(2) याचिकाकर्ताओं ने गाँव खलीलपुरी, तहसील और जिला रेवाड़ी की राजस्व संपदा के भीतर स्थित 16 कनाल 4 मरला की अपनी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी है, जिसका पूरी तरह से हरियाणा राज्य द्वारा अधिग्रहित याचिका के शीर्ष टिप्पणी में वर्णन किया गया है, जो क्रमशः भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षिप्तता के लिए, '1894 अधिनियम') की धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार हरियाणा राज्य द्वारा अधिग्रहित किया गया था।

(3) व्यापक रूप से स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि हरियाणा राज्य ने रेवाड़ी में 'पुलिस लाइन्स एंड इट्स स्टाफ क्वार्टर' के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए विभिन्न गांवों की राजस्व संपदाओं के भीतर स्थित 508 कनाल 06 मरला की भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया।याचिकाकर्ताओं की भूमि को भी प्रस्तावित अधिग्रहण में शामिल किया गया था।उन्होंने 1894 के अधिनियम की अनुभाग 5 ए के तहत आपत्तियां दायर कीं जिन पर विधिवत विचार किया गया।सुनवाई का अवसर भी दिया गया और अंततः उनकी भूमि को 1894 के अधिनियम की अनुभाग 6 के तहत अधिसूचित किया गया। इसके बाद, 1894 अधिनियम की अनुभाग 9 के तहत नोटिस जारी किया गया और मुआवजा घोषित किया गया।

(4) अधिग्रहण को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से सबसे प्रमुख तर्क यह है कि इस जगह पर एक विवाह स्थल है जो सरकारी नीति के अनुसार अधिग्रहण से मुक्त होने योग्य है।

(5) प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में साइट पर किसी भी निर्माण के अस्तित्व से इनकार किया है और एक स्पष्ट रुख लिया गया है कि भूमि उस समय खाली पड़ी थी जब 1894 अधिनियम की अनुभाग 4 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले सर्वेक्षण किया गया था। उन्होंने कहा है कि भूमि का अधिग्रहण एक प्रामाणिक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया है और 1894 के अधिनियम के तहत निर्धारित की गई प्रक्रिया का बारीकी से पालन किया गया है।

(6) तत्काल रिट याचिका वर्ष 2004 में दायर की गई थी। राज्य के माननीय वकील ने सरकार के विशेष सचिव, हरियाणा, गृह विभाग द्वारा से एक नया जवाबदावा दायर किया है, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है।उसमें दोहराए गए कथनों के अनुसार, धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं इलाके में प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में विधिवत प्रकाशित की गई थीं और इस प्रकार, वैधानिक जनादेश के अनुसार व्यापक प्रचार किया गया था।यह आगे समझाया गया है कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया था और उन्हें 14.06.2002 दिनांकित पत्र द्वारा से 21.06.2002 पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था, हालांकि याचिकाकर्ताओं ने सहयोग नहीं किया और अपने बयान दर्ज करने के लिए आगे नहीं आए।यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिग्रहित भूमि का उपयोग पहले ही अधिसूचित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा चुका है, अर्थात् पुलिस लाइन

और कर्मचारी आवास का निर्माण किया जा चुका है।इसके अलावा, प्रशासनिक ब्लॉक, पुलिस पब्लिक स्कूल और पुलिस अधिकारियों के लिए बैरक का भी निर्माण किया गया है।

(7) इसके बावजूद, यह भी स्वीकार किया जाता है कि हालांकि अधिकांश भूमि मालिकों को मुआवजा मिला है, लेकिन जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, वे कभी भी भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा मूल्यांकन किए गए मुआवजे को प्राप्त करने के लिए सहमत नहीं हुए।उक्त क्षतिपूर्ति को 1894 के अधिनियम की अनुभाग 31 के अनुसार संदर्भ न्यायालय में भी जमा नहीं किया गया था। मामले को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि घसितूराम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस न्यायालय द्वारा समझाया गया है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की अनुभाग 24 (2) की शर्तों में से एक का पालन करे और इसके परिणामस्वरूप, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विवादित अधिग्रहण याचिकाकर्ताओं की भूमि के लिए समाप्त हो गया है। तथापि, हमारा विचार है कि ऐसे मामले में भी जहां 1894 अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण को 2013 अधिनियम की अनुभाग 24 (2) के तहत समाप्त घोषित किया गया है, 2013 अधिनियम का विधायी उद्देश्य जब्त मालिकों को मुआवजे की संशोधित और बढ़ी हुई राशि के साथ क्षतिपूर्ति करना है जैसा कि 2013 अधिनियम के तहत मूल्यांकन की जा सकने वाली संशोधित और बड़ी हुई मुआवजे की राशि के साथ स्वामित्व वाले मालिकों को मुआवजा देना है । इस तरह के विधायी उद्देश्य को 2013 के अधिनियम की अनुभाग 24 (1) के तहत मुआवजे का आकलन करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देकर प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, ताकि सार्वजनिक उद्देश्य जिसके लिए अधिग्रहित भूमि का उपयोग किया गया है, अप्रभावित रहे और साथ ही याचिकाकर्ताओं को 2013 के अधिनियम के प्रावधानों से लाभ हो। तदनुसार आदेश दिया।

(8) इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर 2013 अधिनियम की अनुभाग 24 (1) के अनुसार याचिकाकर्ताओं की अधिग्रहित भूमि की क्षतिपूर्ति राशि का पुनर्निर्धारण करने और उन्हें तुरंत वितरित करने का निर्देश दिया जाता है |

पी एस. बाजवा

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

राजेश कपूर
2F16YW
ट्रांसलेटर